

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद।

प्रेस विज्ञापित

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या-67325/2014 अशोक कुमार तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 04.08.2016 को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने एवं अतिक्रमणों को हटाये जाने के क्रम में कूपर रोड व एम0जी0रोड कार्नर पर स्थित शिव महिमा काम्प्लेक्स के वेसमेण्ट मे स्थित पार्किंग स्थल के स्थान पर बनी 12 दुकानों में से 08 को खाली कराते हुए ध्वस्त कर दिया गया तथा कूपर रोड स्थित होटल रामकृष्ण की पार्किंग में चल रहे रेस्टोरेण्ट जिसे कल खाली कराकर सील किया गया था उसमे समस्त पार्टीशन वाल ध्वस्तकराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करा दिया गया है। कार्यवाही आगे जारी रहेगी।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकरी/प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन श्री आलोक कुमार पाण्डेय के अतिरिक्त अवर अभियन्ता श्री जयशंकर सिंह, श्री सुनील त्यागी भवन निरीक्षक श्री विजय शंकर पाण्डेय एवं श्री कुँवर सिंह ए0डी0ए0 प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

(गुडाकेश शर्मा)

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क

प्रतिलिपि:

सम्पादक समस्त दू (समाचार पत्र) को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञापित को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क